राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी

कमांक/कोर्ट/2020/181 दिनांक 10/11/2020

प्रेषितः– तहसीलदार,
बावडी।

विषयः– माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करने बाबत् ।
मु0 नं0 131/2018 उनवान युसुफ खाँ बनाम हुसैन खाँ के कायम मुकाम रहमत खाँ वगैरह
धारा, एक्ट 53,188 RT Act निर्णय दिनांक 03/11/2020

उपरोक्त विषयांन्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 131/2018 उनवान युसुफ खाँ बनाम हुसैन खाँ के कायम मुकाम रहमत खाँ वगैरह धारा : 53, 188 RT Act. निर्णय दिनांक 03/11/2020 की निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न भिजवाई जा रही है ।

अतः आप अगर किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो, माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
बावडी

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला-जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:00 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D')

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

युसुफ खाँ बनाम हुसैन खाँ के कायम मुकाम रहमत खाँ वगैरह

बाबत 53, 188 RTAct

मुकदमा नं. 131/2018

मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई मेरे

श्री माणक राम माली — मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

तहसीलदार बावड़ी से ग्राम बुचेरी का प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ख.न. 472 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा ख.नं. 538 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 539 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 540 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 542 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरान 05 कुल रकबा 55 बीघा 11 बिस्वा को स्वीकृत किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान के खसरान का अलग-2 बटे नम्बर कायम कर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे एवं खातेदारान के रास्ता बाबत समस्या नहीं रहे, यह भी सुनिश्चित करें। विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बावड़ी को इस आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/11/2020 माह 200

दस्तखत (सुमित्रा पारीक)

ओहदा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______________________ मुकाम ______________________

______________________ बनाम ______________________

किस्म मुकदमा ______________ नं. ______________ सन् ______________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/20	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईन्तुबा होकर दिनांक 24/3/20 को पेश हो ।	
24/3/20	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईन्तुबा होकर दिनांक 17/4/20 को पेश हो ।	
17/04/2020	केविड़-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बाद पुनः जारी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 9/10/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखाण्ड अधिकारी, बावड़ी	
9/10/2020	पत्रावली पेश हुई । वादी अधिवक्ता उपस्थित । प्रतिवादी गण की तरफ से न तो अधिवक्ता उपस्थित और न ही कोई प्रतिवादी उपस्थित हुए । न्यायालय समय में बार-बार आवाज देने पर भी कोई उपस्थित नहीं प्रतिवादीगण की तरफ से। वादी अधिवक्ता ने पूर्व में प्राथमिक डिक्री अनुसार किसी भी [illegible] आपत्ति नहीं जाहिर की। दिनांक 0[illegible] [illegible] के आदेशिका में शा[illegible] [illegible] [illegible]आजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी [illegible] एकस पार्टी होने से पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 03/11/2020 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:00 IST
Reason: SelfAttested